

महत्वपूर्ण एवं खास

एसीबी ईओडब्लू ने की कोल लेवी और कस्टम मिलिंग घोटाले के आरोपियों के नार्को टेस्ट के लिए लगाया आवेदन

रायपुर (आरएनएस)। एसीबी-ईओडब्लू ने कोल लेवी और कस्टम मिलिंग घोटाले के आरोपियों के नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट में आवेदन लगाया है। एसीबी-ईओडब्लू ने नार्को टेस्ट कराने की जरूरत बताते हुए भूपेश कुमार बसंत की विशेष कोर्ट में आवेदन लगाया है। बता दें कि कांग्रेस शासन काल में हुए 450 करोड़ के कोल लेवी और 127 करोड़ के कस्टम मिलिंग घोटाले के मामले में की जांच कर रही है। कोल लेवी और मनी लॉड्रिंग घोटाले में जेल में बंद कांग्रेस नेता सूर्यकांत तिवारी, उसके भाई रजनीकांत तिवारी, निखिल चंद्राकर के टेस्ट के लिए आवेदन लगाया है। इसी तरह से कस्टम मिलिंग घोटाले के आरोपी रौशन चंद्राकर के लिए भी नार्को टेस्ट की अनुमति मांगी है। इस टेस्ट में आरोपियों के पुराने बयान की सत्यता जानी जाएगी। यह टेस्ट बंगलुरु में होता है। और कोल घोटाले के मामले में एक मामला बंगलुरु के एक थाने में दर्ज भी है। सूर्यकांत बंगलुरु से ही पकड़ कर लाया गया था।

गैंगस्टर अमन साहू 19 तक गंज पुलिस की रिमांड में, कड़ाई से होगी पूछताछ

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा में दिग्दर्शन हुए फायरिंग के मामले में गिरफ्तार किये गए गैंगस्टर अमन साहू को स्पेशल कोर्ट ने 19 अक्टूबर तक गंज पुलिस को रिमांड पर दे दिया। जहां पुलिस अमन साहू से कड़ाई से पूछताछ करेगी। मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा झारखंड जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को रात रविवार रात करीब 1.30 बजे चाईबासा जेल से लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राजधानी रायपुर पहुंचा। उसे जेल से प्रोडक्शन वॉरंट पर लाया गया है। जिसमें छत्तीसगढ़ और झारखंड की 30 से अधिक सुरक्षा पुलिस बल की टीम मौजूद थी। अमन साहू को रायपुर पहुंचने के बाद सीधे ब्राह्म ब्रांच के ऑफिस में रखा गया, जहां सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने सोमवार को अमन साहू को कोर्ट में पेश किया। जहां सुनवाई के बाद स्पेशल कोर्ट ने 19 अक्टूबर तक गंज पुलिस को रिमांड पर दे दिया। उससे पूछताछ के दौरान बचाव पक्ष के वकील भी 3-4 बजे के दरम्यान मौजूद रह सकेंगे। कोर्ट में पेश करने से पहले उसकी मेडिकल जांच की औपचारिक पूरी की गई। बता दें कि राजधानी रायपुर में 13 जुलाई को तेलीबांधा क्षेत्र में फं प्रह्लाद राय अग्रवाल (पीआरए) के संचालकों पर फायरिंग की गई थी। हालांकि इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई थी। पुलिस ने जांच के बाद मामले में गैंग की महिला सदस्य समेत 12 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पुलिस के मुताबिक ये सभी आरोपी अमन साहू गैंग के लिए काम करते थे।

चाबी से हमला कर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

धमतरी (आरएनएस)। गाली देने से मना करने पर एक युवक ने दूसरे युवक की हत्या कर दी। आरोपी ने मृतक के सोने में नुकीली चाबी घुसाकर उसकी जान ले ली। मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार रविवार शाम चेतन यादव नामक युवक बटेना पारा सिन्हा किराना दुकान के सामने लड़ाई झगडा करते हुए गाली गलौज कर रहा था इसी दौरान वहीं का रहने वाला भरत सिन्हा पिता हरिराम सिन्हा उम्र 46 साल निवासी बटेना पारा वहां से गुजर रहा था जिसने आरोपी को गाली गलौज करने से मना किया। इस पर आरोपी ने अपने पास रखी चाबी को अपनी मुट्ठी में फंसाकर भरत के सोने में एक वार किया, जिससे भरत वहीं पर गिर गया जिसको तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने सूचना पर तत्काल आरोपी को हिरासत में लिया। मामले में पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 103(1) बी.एन.एस.के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

आत्मसमर्पित नक्सलियों का घर बसाएगी छत्तीसगढ़ सरकार, अलग से होगा बजट

रायपुर। आरएनएस

आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास की नीति राज्योत्सव के अवसर पर लांच होगी। इसके प्रमुख प्रविधानों के अनुसार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार मुख्यधारा से जुड़ने वालों का घर बसाएगी। उन्हें उनकी जरूरत की सभी चीजें दी जाएंगी। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और उनके स्वजन विकास के लिए सरकार अलग से बजट भी निर्धारित करेगी। पुनर्वास की नीति के ज्यादातर प्रविधान असम से लिए गए हैं। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री विजय शर्मा ने असम का दौरा करके यहां अध्ययन किया है और वहां की नीति



का 80 प्रतिशत हिस्सा छत्तीसगढ़ में भी लागू किया जा सकता है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए हमारी सरकार उनके आवास की व्यवस्था करेगी। सरकार की सभी योजनाओं के लाभ तो मिलेगा ही साथ ही उनके लिए विशेष नीति हम जल्द ही लांच कर लेंगे।

के लिए भी प्रोत्साहना। आत्मसमर्पण व पुनर्वास के लिए शिविर का आयोजन। पुनर्वास नीति इसलि ए जरूरी है, क्योंकि ऐसे गुमराह युवक जो कि हार्डकोर नक्सलियों के दृष्टिक्रम में फंस गए हैं। उन्हें मुख्यधारा में लाने के बाद वह दोबारा नक्सलियों के चंगुल में न फंसे इसे रोकने की चुनौती होगी।

पिछले नौ महीनों में लगातार कार्टवार्ड नक्सलियों के खिलाफ साय सरकार लगातार कार्टवार्ड कर रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ में 194 नक्सलियों को मुठभेड़ में मारा गया है। 801 नक्सली गिरफ्तार और 742 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसके लिए पुनर्वास नीति बहुत

शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए मेगा जॉब फेयर का आयोजन आज छत्तीसगढ़ कॉलेज में होगा ऑफलाइन पंजीयन

17 अक्टूबर से विभिन्न स्थानों पर होगा साक्षात्कार

7 हजार से अधिक पदों पर की जाएगी भर्तियां

रायपुर | आरएनएस

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में शिक्षित बेरोजगारों के लिए मेगा जॉब फेयर का आयोजन जा रहा है। 15 अक्टूबर को ऑफलाइन पंजीयन किया जाएगा। मेगा जॉब फेयर में सात हजार से अधिक पदों पर भर्तियां की जाएगी। छत्तीसगढ़ कॉलेज में 15 अक्टूबर की सुबह 11 बजे से पंजीयन प्रारंभ किया जाएगा और 2 बजे तक युवाओं के पंजीयन किए जाएंगे। पंजीकृत बेरोजगारों



के 17 अक्टूबर से विभिन्न स्थानों पर साक्षात्कार किए जाएंगे। यह मेगा जॉब फेयर का आयोजन 25 अक्टूबर तक किया जाएगा। आवेदकों को पंजीयन के पूर्व बायोडाटा, आधार कार्ड, मार्कशीट, फोटो, पेनकार्ड एवं प्रमाण-पत्र की फोटोकॉपी के साथ उपस्थित होंगे। इसके

पंजीयन किया जाए और लाभ दिया जाए।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपलब्ध कराएंगे रोजगार

स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग सुपरीटेंडेंट, पैरामेडिकल, विभिन्न टेक्निकल, ड्रेसर एवं अन्य पदों के लिए रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे।

बैंकिंग, फाइनेंस एवं मार्केटिंग अकाउंटेंट, सहायक शाखा प्रबंधक, एटीएम ऑपरेटर, ब्लॉक समन्वयक, बिजनेस डेवलपमेंट एक्जीक्यूटिव, सीएसए, कासा, कैश प्रोसिसिंग ऑफिसर, सिटी करियर, एडवाइजर, कम्प्यूटर ऑपरेटर, ग्राहक सेवा एग्रेसिव, ट्रेनिंग एग्रेसिवेशन, ग्राहक सहायता, डिलिवरी बॉय, जिला

समन्वयक, ड्राइवर, महिला करियर सलाहकार, सहायक, फील्ड बिक्री कार्यकारी, वित्तीय सलाहकार, एजेंट कंज्यूमर मार्ट, शिक्षा, होटल एवं रेस्टोरेंट

विक्रेता, स्टोर मैनेजर, कैशियर, टीम लीडर, एमजीआर, एफएमसीजी, फिलपकार्ट ऑपरेटर, स्मोकन इंग्लिश शिक्षक, नृत्य शिक्षक, खेल शिक्षक, संगीत शिक्षक, कैप्टन, शेफ, वेटर, इलेक्ट्रीकल इंजीनियर, डिजिटल सह मार्केटिंग मैनेजर, जिम ट्रेनर महिला, जिम मैनेजर, फूड मैनेजर।

उद्योग

इलेक्ट्रीशियन, मार्केटिंग सह ऑफिस असिस्टेंट, वाहन चालक, पंप ऑपरेटर, हेल्पर, इलेक्ट्रीकल फीटर टें, एप्लिकेशन ऑपरेटर।

सिक््युरिटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, बैंक ऑफिस, होटल मैनेजमेंट शिक्षण संस्थान, हॉस्पिटल सेक्टर

सिक््युरिटी गार्ड (महिला/पुरुष), सुपरवाइजर, लेजर, आर्म गार्डस, सेल्स ऑफिसर, कस्टमर सर्विस, मैनेजर, एजेंट, सर्वेयर, सेल्स पर्सन, प्रमोर्टस, सेल्स आफिसर, फिलड आफिसर, कस्टमर हेण्डलिंग, पर्सेसिंग मैनेजर, एक्सीक्यूटिव, कम्प्यूटर ऑपरेटर, एकाउंटेंट, प्रोग्रामर, जिया प्वाइंट मैनेजर, बिजनेस ट्रेनर, टेली फॉलर, पर्सनल सेक्रेट्री, वेटर मैनेजर, स्मोकन इंग्लिश, डांस, स्पोर्ट्स, संगीत टीचर, समस्त प्रकार के टेक्निकल, नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय, बैंक ऑफिस स्टॉक, बैंक ऑफिस स्टॉक, इंजीनरस आदि।

9 लाख से अधिक के ब्राउन शुगर के साथ 6 गिरफ्तार

अन्तर्राष्ट्रीय ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाले 06 आरोपी गिरफ्तार

46 ग्राम ब्राउन शुगर कीमती 9 लाख 20 हजार रुपये जप्त

तस्करी में प्रयुक्त वाहन अटिंगा कार भी जप्त

जिला गठन के बाद नशीले पदार्थ ब्राउन शुगर के विरुद्ध मुंगेली में पहली कार्यवाही

मुंगेली-रायपुर | आरएनएस

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नशे के अवैध कार्य करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। निर्देश के परिपालन में पुलिस महानिरीक्षक

बिलासपुर रेंज बिलासपुर संजीव शुक्ला(भापुसे) के दिशा-निर्देश एवं पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (भापुसे) के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल के पर्यवेक्षण में कल दिनांक 13.10.2024 को जिले के साइबर सेल की टीम एवं थाना जरहागांव को मुखबीर के जरिये सूचना प्राप्त हुई कि सफेद रंग के अटिंगा वाहन में कुछ व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर की तस्करी करते हुये अंबिकापुर-बिलासपुर से मुंगेली की तरफ आने वाले हैं। सूचना प्राप्त होने पर तत्काल घेराबंदी एवं धर पकड़ हेतु अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग टीम को तैनात किया गया। इसी दौरान शाम तकरीबन 4-5 बजे के मध्य बिलासपुर तरफ से एक अटिंगा कार क्रमांक 4790 आते दिखी जिसे पूर्व से तैनात पुलिस की

टीम द्वारा घेराबंदी कर रोका गया। कार में 06 व्यक्ति सवार थे। प्रावधानों का पालन करते हुये कार एवं उसमें सवार व्यक्तियों की विधिवत तलाशी ली गई। कार के अंदर रखे कैरी बैग के अंदर अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर मिलने पर सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर एवं तस्करी में प्रयुक्त वाहन अटिंगा कार को जप्त किया गया। आरोपियों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि अवैध ब्राउन शुगर को दौगर राज्य से पहले बस में लेकर आये उसके बाद अंबिकापुर-कोरबा के सीमा से अन्य साधियों के साथ कार के माध्यम से तस्करी करते हुये मुंगेली आ रहे थे। अपचारी बालक सहित अन्य 05 आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपियों में - (01)

आनन्द उर्फ भूख यादव पिता हेम कुमार उम्र 20 साल साकिन मल्हापारा मुंगेली (02) सदीप गोस्वामी पिता मनोज उम्र 21 साल साकिन बुधवारी बाजार मुंगेली (03) सुनील जायसवाल पिता गणेश उम्र 24 साल साकिन नंदी चौक शंकर मंदिर के पास (04) प्रिंशु गुप्ता पिता प्रभात गुप्त उम्र 23 साल साकिन गोलबाजार मुंगेली (05) आसुतोश जायसवाल पिता रमेश उम्र 25 साल साकिन परमहंस वार्ड मुंगेली। उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोरबा के सीमा से अन्य साधियों के साथ कार के माध्यम से तस्करी करते हुये मुंगेली आ रहे थे। अपचारी बालक सहित अन्य 05 आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपियों में - (01)

ट्रक ड्राइवर और हेल्पर की सतर्कता से बची घायल की जान

दुर्ग-रायपुर (आरएनएस)।

पुलिस अधीक्षक दुर्ग, जितेंद्र शुक्ला के निर्देश में एवम सुरुचा मिश्रा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) के मार्गदर्शन में तथा उप पुलिस अधीक्षक (यातायात) सतीष ठाकुर, सदानंद विंधराज के नेतृत्व में नेशनल हाईवे 53 में अंजोरा बाईपास से कुम्हारी टोल प्लाजा 40 किलोमीटर के बीच में चार हाईवे पेट्रोलिंग तैनात किए गए हैं जो लगातार हाईवे में लागने वाले जाम को हाटाने, सडक दुर्घटना में घायलों की मदद, खराब वाहन के पीछे रडियम लगाने, सडक से मवेशी हाटाने, सडक में खड़ी वाहन को हाटाने का कार्य करते आ रही है। कल दिनांक

13 अक्टूबर को पावर हाउस ओवर ब्रिज के ऊपर रायपुर से दुर्ग मार्ग में सामने चल रहे ट्रक क्रमांक 9484 से एक एक्टिवा चालक वाहन क्रमांक 6125 ट्रक के पीछे जाकर टकरा जाने पर ट्रक चालक द्वारा आवाज आने पर तत्काल ट्रक को रोका गया और पीछे जाकर देखने पर एक्टिवा चालक गंभीर रूप से घायल पाया गया जिसे ड्राइवर और हेल्पर द्वारा बह रहे खून को रोकने का प्रयास किया गया और तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम उनको सूचना दी जिस पर हाईवे पेट्रोलिंग (02) के द्वारा तत्काल घटना स्थल पहुंचकर घायल को इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, और दोनों वाहनों को छावनी थाना के सुपुर्द किया गया।

डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ से लैस एमएमयू वाहनो से की जा रही है जिले में स्वास्थ्य जांच

सारंगढ़ बिलाईगढ़

कलेक्टर धर्मेण साहू के निर्देश और सीएमएचओ डॉ एफ आर निराला के मार्गदर्शन में आरएसी फाउंडेशन प्रबंधन से मोबाइल मेडिकल यूनिट (डॉक्टर्स फॉर यू) द्वारा जिले के शहर सहित मैदानों और दूरस्थ अंचल के गांवों में पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही है।



सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्य कलेक्टर धर्मेण कुमार साहू ने 7 अगस्त डॉ एफ आर निराला ने बताया कि प्रत्येक एमएमयू वाहन में चिकित्सक, स्टॉफ नर्स, फर्माशिष्ट, लैब टेक्नीशियन उपलब्ध हैं। एमएमयू सभी सुविधाओं

से लैस रहेगी, जिसमें लैब टेस्ट, दवा और उपचार की व्यवस्था है। विकासखंड के जनसंख्या के आधार पर सारंगढ़ और बिलाईगढ़ के लिए 2-2 और बरमेकेला के लिए 1 एमएमयू डॉक्टर आपके द्वा (डॉक्टर्स फॉर यू) सेवा कर रहा है। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर धर्मेण कुमार साहू ने 7 अगस्त डॉ एफ आर निराला ने बताया कि प्रत्येक एमएमयू वाहन में चिकित्सक, स्टॉफ नर्स, फर्माशिष्ट, लैब टेक्नीशियन उपलब्ध हैं। एमएमयू सभी सुविधाओं

2 साल से लंबित कार्य कलेक्टर जनदर्शन में 2 घंटे में पूर्ण

सारंगढ़-बिलाईगढ़

प्रत्येक सोमवार को आयोजित कलेक्टर जनदर्शन में आवेदिका ललिता चंद्रा की दो साल से लंबित कार्य कलेक्टर धर्मेण कुमार साहू के संज्ञान में आते ही 2 घंटे में पूर्ण किया गया। कलेक्टर ने तहसीलदार को आवेदिका के रिकॉर्ड का तुरंत ऑनलाइन दुरुस्ती करने के लिए तहसीलदार को निर्देशित किया, जिससे कार्य तुरंत हो गया। जिला प्रशासन के इस कार्य से लोगों के मन में बैठी हुई शासन के प्रति विश्वास को



मजबूती मिली है। आवेदिका ग्राम उच्चभिठी पहन-09 रामिम कोसीर में विकासखण्ड एवं तहसील सारंगढ़ की कृषि भूमि को क्रेता ललिता चंद्रा पति धनेश्वर ने खसरा नं.-1568/1 जिसका रकबा 0.162 है जो लगभग 40 डिसमिल को खरीदी की थी, जिसको ऑनलाइन दर्ज कराने हेतु जनवरी में आवेदन उपतहसील कार्यालय कोसीर में आवेदन कर चुकी थी। इसके बाद आवेदिका ने फिर से उपतहसील कार्यालय, कोसीर में ऑनलाइन दर्ज कराने हेतु आवेदन दिया था, परन्तु सोमवार तक इस खसरा नं.-1568/1 जिसका रकबा 0.162 है को

आनलाइन दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। आवेदिका वर्तमान कोरबा में निवासी कर रही हैं। वहां से आने-जाने में पेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID - sjunion29@gmail.com

Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526

अधिकार से न्याय तक

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं सीनियर एडवोकेट श्री ताराशंकर श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गैरिजिस्टर्ड बार्ड के सदस्यों कृ. सी.बी.वर्मा, श्रीमती कनका श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकूदे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अत्याचर अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य एवं लैबर वेल्फेयर, गरीब, परिवारिक, विधवाओं के स्वयंसेवा के लिए कार्य किया जायेगा।

आवश्यकता

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ समस्त एवं अन्यायिक विषयों के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार-प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उन्में संघ के द्वारा आर्थिक निपुणताओं की जायेगी। प्रत्येक ब्लॉक इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

प्रार्थित एवं पीड़ित व्यक्ति को सम्स्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक सम्स्या पर विधिन्याय एवं सौजन्य के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

मुख्य बिन्दु

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव को हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत विधिक सहायता को व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ प्रत्येक संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी वेतना हेतु भी जागरूकता देने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आर्थिकसिद्धि के अधिकार, अनुसूचित जाति-अनुसूचितों के अधिकारों के सम्बन्ध में विधिक एवं सैमाजिक सौध के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संरक्षित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कार्यक्रमों एवं अधिकारों के बारे में सतर्क किया जायेगा।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन व्यक्तियों को परेशानी से पूर्णतया राज करवा है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा सैमाजिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित विस्तृत कार्यक्रम किए जायेगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्गत, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कृतिवियों को हर कदम के लिए करतबदार का अव्ययन भी करेगा। संघ के मूल विस्तरे पर सक्षम विभिन्न व्यक्तियों के सम्मन में कार्यक्रम भी आयोजित करेगा।

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

